राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः–एफ15( ) सा.सु./ भिक्षा.नि./सान्याअवि/19–20/ 72605 जयपुर दिनांक 9/12/19

आयुक्त,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः–अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रकाशित करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigent Act, 2012 की पालना में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में जोडने, उनको स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपरान्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पुनर्वासित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जयपुर जिला मुख्यालय के लिए स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से (मेमोरेण्डम आफ अण्डरटेकिंग M.O.U.) के आधार पर पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जानी हैं।

अतः पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जयपुर जिला मुख्यालय के लिए स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से (मेमोरेण्डम आफ अण्डरटेकिंग M.O.U.) के आधार पर पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिये समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार के लिये अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) राष्ट्रीय/राज्य स्तर के प्रतिष्ठित/अधिकतम प्रसारित होने वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने हेतु संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय,

09-12-2019
(नन्नू मल पहाडिया)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

संलग्नःउपरोक्तानुसार–7प्रतिया

क्रमांकः–एफ15( ) सा.सु./ भिक्षा.नि./सान्याअवि/19–20/ 72606-08 जयपुर दिनांक 9/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.)मुख्यावास को भेजकर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुये उक्तानुसार पोर्टल ओपन करवाया जाना सुनिशिचित करावे।
2. उप निदेशक(प्रचार),मुख्यावास को भेजकर लेख है कि दिनांक 11.11.19 से पूर्व समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करवायें।

09.12.19
(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (सा0सु0)

ई–मेलः–sjeraj_ww@yahoo.com, दुरभाष न0 2226605
पताः– जी 3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांकः–एफ15( ) सा.सु./ भिक्षा.नि./सान्याअवि/19–20/ 72609 जयपुर दिनांक 9/12/19

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राज्य के भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में जोडने, उनको स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपरान्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पुनर्वासित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जयपुर जिला मुख्यालय के लिए स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से 100 की आवासीय क्षमता वाले पुनर्वास गृह की स्थापना की जानी है। राज्य सरकार उक्त योजना में भिखारियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत/रूचि रखने वाली पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी कर जयपुर जिला मुख्यालय के लिये प्रस्ताव आमन्त्रित करती है। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा अपना आवेदन पत्र, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक जिला कलक्टर जयपुर, को प्रस्तुत किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेब–साईट **www.sje.rajasthan.gov.in** पर, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर के कमरा नम्बर 317 द्वितीय तल तथा जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर (शहर), में सम्पर्क किया जा सकता है।

09.12.2019
(नन्नू मल पहाडिया)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

पताः– जी 3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।
ई–मेलः–sjeraj_ww@yahoo.com, 2226605

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों हेतु पुनर्वास गृह संचालन के लिये आवेदन पत्र

1. संगठन/संस्था का नामः
2. संस्था का स्थाई पताः
3. संस्था अध्यक्ष का नाम, पता एवं मोबाईल व ई–मेल
4. संस्था अध्यक्ष/सचिव का आधार कार्ड नम्बर
5. पंजीयन संख्या (किस अधिनियम के अन्तर्गत)
   (प्रमाण पत्र, संविधान, उद्वेश्य, नवीन कार्यकारिणी
   के सदस्यों के नाम आदि की प्रमाणित प्रति, तथा पता)
6. भिक्षावृति के क्षेत्र में अनुभव के दस्तावेज
7. स्टाफ का विवरण
8. संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर
   राज्य सरकार के नियमों की पालना के लिये वचनबद्धताः
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः
   I. गत तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट,
   II. संस्था के गत तीन वर्ष के अंकेक्षित लेखे,
   III. संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार
   अथवा किसी भी उपक्रम द्वारा कालीसूची
   में नहीं होने संबधी नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्रः
   IV. संस्था का बैंक खाता विवरणः(पासबुक प्रति संलग्न भी करे):
10. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने का दस्तावेज/प्रमाण

मैंने योजना के दिशा निर्देशों को पढकर भलिभॉति समझ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूॅं। संस्था योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने पर वचनबद्ध है।

संस्था अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर
नाम पता/मुहर तारीख

पताः– जी 3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।
ई–मेलः–sjeraj_ww@yahoo.com, 2226605